vinetur

18 साल पुराना वितरण संबंध बनाए रखने के अदालत के आदेश के खिलाफ Constellation Brands की अपील

मध्यस्थता समाप्त होने से पहले आपूर्तिकर्ता की ताकत की कड़ी निगरानी वाली परीक्षा में अपील लंबित रहने तक निषेधाज्ञा पर रोक लगाने की मांग

गुरुवार, 12 नवंबर 2026



Beer Business Daily के अनुसार, Constellation Brands ने अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जो उसे Coors Distributing Co. के साथ अपना संबंध खत्म करने से रोकता है। कंपनी ने अदालत से यह भी कहा है कि अपील पर सुनवाई आगे बढ़ने तक इस आदेश को स्थगित रखा जाए।

विवाद के केंद्र में मौजूद आदेश एक निषेधाज्ञा है, जो मध्यस्थता जारी रहने तक मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखती है। Beer Business Daily के मुताबिक, इस असहमति का संबंध एक ऐसे वितरण अनुबंध से है, जो 18 साल से प्रभावी है।

इस अपील से उस विवाद में एक नया चरण जुड़ गया है, जो यह तय करने में मदद कर सकता है कि मध्यस्थता पैनल के

अंतिम फैसले से पहले किसी थोक वितरक को बदलने की इच्छुक कंपनी कितनी दूर तक जा सकती है। निषेधाज्ञा पर रोक लगाने की मांग करके Constellation अदालत से अपील लंबित रहने के दौरान उस आदेश के तहत लागू पाबंदियों को निलंबित करने को कह रही है, न कि पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त होने तक इंतजार करने को।

Beer Business Daily ने उपलब्ध सामग्री में यह नहीं बताया कि Constellation ने अपील में कौन-से तर्क दिए हैं या मामले की सुनवाई कौन-सी अदालत कर रही है। उसने Coors Distributing Co. की प्रतिक्रिया भी शामिल नहीं की। इस प्रकाशन की रिपोर्ट का जोर प्रक्रियागत कदम पर था: Constellation निषेधाज्ञा को चुनौती दे रही है और अलग से यह भी कोशिश कर रही है कि अपीलीय प्रक्रिया के दौरान वह आदेश लागू न रहे।

यह प्रक्रियागत लड़ाई इसलिए अहम है, क्योंकि शराब के उत्पादकों और थोक वितरकों के बीच विवादों में अक्सर मूल अनुबंध की शर्तों जितना ही समय का पहलू भी मायने रखता है। अगर अदालत मध्यस्थता के दौरान वितरण संबंध बनाए रखने का आदेश देती है, तो कंपनी महीनों या उससे भी अधिक समय तक ऐसे साझेदार से बंधी रह सकती है, जिसे छोड़ने की वह कोशिश कर रही है। अगर निषेधाज्ञा हटा दी जाती है, तो मध्यस्थों के यह तय करने से पहले ही शक्ति-संतुलन तेजी से बदल सकता है कि अनुबंध के तहत संबंध खत्म करने की अनुमति थी या नहीं।

इस मामले पर पेय कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों की भी नजर रहने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका में वितरक बदलना बीयर, वाइन या स्पिरिट्स कंपनी के सबसे संवेदनशील फैसलों में से एक हो सकता है। उत्पादकों और थोक वितरकों के संबंध अक्सर लंबे समय तक चलते हैं और उन पर न केवल निजी अनुबंधों, बल्कि राज्य के शराब वितरण नियमों का भी असर होता है, जिनके चलते संबंध खत्म करना मुश्किल और महंगा हो सकता है। मध्यस्थता लंबित रहने के दौरान किसी उत्पादक को वितरक के साथ संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं, इस पर अदालत की लड़ाई से यह प्रभावित हो सकता है कि ऐसे ही बदलाव करने से पहले दूसरी कंपनियां अपने कानूनी जोखिम का आकलन कैसे करती हैं।

थोक वितरकों के लिए इस तरह की निषेधाज्ञाएं अहम औजार हो सकती हैं, जब उन्हें लगता है कि कोई उत्पादक बहुत जल्दबाजी कर रहा है या अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है। वहीं, उत्पादकों के लिए ऐसे ही आदेश वितरण नेटवर्क को नए सिरे से आकार देने, नई रणनीतियां अपनाने या कारोबार किसी दूसरे साझेदार को सौंपने की क्षमता सीमित कर सकते हैं। इस टकराव के कारण वितरक से संबंध खत्म करने के मामले शराब उद्योग में बार-बार सामने आते हैं, जहां खुदरा विक्रेताओं तक पहुंच स्थापित वितरण मार्गों पर काफी हद तक निर्भर करती है।

अपील से मूल विवाद का समाधान नहीं होता। इससे केवल इस सवाल पर एक नया दौर शुरू होता है कि व्यापक अनुबंध विवाद आगे बढ़ने के दौरान निषेधाज्ञा लागू रहनी चाहिए या नहीं। अदालत के इस अनुरोध पर फैसला सुनाने और मध्यस्थता के अपने निष्कर्ष तक पहुंचने तक, Constellation और Coors Distributing Co. के बीच 18 साल पुराना संबंध अमेरिका के पेय बाजार में वितरक के अधिकारों और उत्पादक की लचीलेपन की क्षमता की कड़ी निगरानी वाली परीक्षा के केंद्र में बना रहेगा।